राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2013

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(i) अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय मे निम्नलिखित प्रधानाचार्यो ने आहरण एंव वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्रम सख्याँ	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	डा0 भवन शर्मा (officiating)	01–04–10 से 30–04–10
2	श्री सतीश चन्द्र शर्मा	01–05–010 से 31–03–13

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्रम सख्याँ	पैरा सख्याँ	विवरण	₹
1	9	महाविद्यालय द्वारा अनाधिकृत रूप से निधियों की वसूली करना	209773
2	10	दैनिक उपयोग रजिस्टर के अनुसार प्रयोग किए गए केमिकल/सामग्री के स्थान पर अधिक मात्रा के केमिकल/सामग्री को स्टाक से खारिज करने बारे	63341
3	12	मैसर्ज Imperial PrintingPress धर्मशाला को अधिक भुगतान करना	27011
4	16	अग्रधन के रूप में दी गई से सम्बन्धित समायोजित वाऊचरों का प्रस्तुत न करने बारे	77000
5	17	मिश्रित निधि से बिजली के बिलो का अनियमित रूप में भुगतान करना	275105

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु संस्था द्वारा कोई कार्रवाई नही की जा रही है अपितु प्रत्येक अंकेक्षण के उपरान्त इन पैरों की संख्या में बढौतरी हो रही है। अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त आवश्यक पग उठाये जाएं तथा सटिप्पण उतर में इस विभाग को प्रेषित किए जाए ताकि अनिर्णीत पैरो का निपटारा किया जा सके। गत अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट–"A" पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के अवधि 4/10 से 3/13 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/ जाँच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ति अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री अशोक कूमार सूद (अनुभाग अधिकारी), श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल–सहायक) द्वारा दिनाँक 12–09–2013 से 11–10–2013 के दौरान धर्मशाला में किया गया। माह 6/10 6/11 व 6/12 का चयन आय की विस्तृत जाँच के लिए तथा माह 3/11, 10/11, व 10/12 का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एंव सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नही करवाई गई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के अवधि 4/10 से 3/13 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹21,000/–बनता है।

वर्ष	निधियों से आय	संचायिका से आय	कुलयोग	अंकेक्षण शुल्क
2010–11	52,57948.00	83377.00	5341,325.00	7000.00
2011–12	51,44,952.00	87502.00	52,32,454.00	7000.00
2012–13	56,37,332.00	–	56,37,332.00	7000.00
			योग	**21000.00**

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से इसे निदेशक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 142 दिनाँक 19–9–2013 द्वारा अनुरोध किया गया तथा प्रधानाचार्य द्वारा तुरन्त कार्रवाई करते हुए उक्त राशि को के0सी0सी0 बैक के ड्राफ्ट संख्या 654901 दिनाँक 19–10–13 के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के अवधि 4/10 में 3/13 के निधि लेखों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "क" पर वर्णित है।

5 निवेशः–

(क) विभिन्न छात्र निधियों से दिनाँक 31.3.13 तक सावधि जमा योजना में किए गए निवेश का विवरण परिशिष्ट "ख" व "च" पर संलग्न है

(ख) पुस्तकालय निधि के अन्तर्गत दिनाँक 31.3.13 को परिशिष्ट "ख" के अनुसार सावधि जमा में निवेशित ₹2009149/– को पुस्तकायल निधि की रोकड बही की अन्तशेष राशि में सम्मिलित न कर अलग से दर्शाया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशियों को व्याज सहित रोकड बही में सम्मिलित करके दर्शाया जाये ताकि निधि की सम्बन्धित वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) रोवर एंव रेण्जर निधि के अन्तगति परिशिष्ट “घ” के अनुसार निवेशित ₹1069227/— पर दिनाँक 16—02—11 तक ₹69227 का ब्याज अर्जित किया गया जिसे उक्त निधि की रोकड बही के अर्न्तशेष में सम्मिलित नही किया गया। अतः अर्जित ब्याज की राशि को रोकड बही मे सम्मिलित किया जाये ताकि निधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 **रोवर एड रेन्जर निधि में ₹700 कम जमा करवाने बारेः—**

रोवर एड रेन्जर निधि की माह 10/10 की रोकड बही की जाँच पर पाया गया कि माह 10/10 का अन्तशेष ₹3,42,935.05 दर्शाया गया है जबकि माह 11/10 में रोकड बही के पृष्ठ संख्या 12 पर आरम्भिक शेष ₹3,42,235.50 दर्शाया गया है। इस प्रकार माह 11/10 में आरम्भिक शेष में ₹700/— कम अग्रषित की गई है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

7 **शिक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त ₹300 को सरकारी खजाने में जमा न करवाने बारेः—**

दिनाँक 26.6.12 से सम्बन्धित फीस प्राप्ति विवरणी की जाँच पर पाया गया कि शिक्षा शुल्क के रूप में विद्यार्थियों से ₹15750 की वसूली की गई थी जबकि फीस प्राप्ति रजिस्टर में दिनाँक 26.6.12 को ₹15450 दर्ज करके यह राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई गई थी। इस प्रकार फीस प्राप्ति रजिस्टर में ₹300 कम दर्ज करके सरकारी खजाने में भी यह राशि कम जमा कर्रवाई गई जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त ₹300 की तुरन्त उचित स्त्रोत वसूली करके इसे सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

8 **विभिन्न छात्र निधियों के रूप में वसूल की गई ₹574 को कम जमा करवाने बारेः—**

दिनाँक 10—6—11 को छात्र निधियों से सम्बन्धित फीस प्राप्ति विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹574 सम्बन्धित निधियों में कम जमा करवाई गईः—

निधि का नाम	दिनाँक 10–6–11 को फीस प्राप्ति विवरणी अनुसार राशि	दिनाँक 10–6–11 को फीस प्राप्त रजिस्टर के पेज सं0 315 में दर्ज राशि	फीस प्राप्ति रजिस्टर के कम दर्ज राशि
बुक रिपलेसमेन्ट निधि	8025	8000	25
मिश्रित निधि	36150	36000	150
कैम्पस डिवलमैन्ट निधि	4173	4160	13
पत्रिका निधि	16050	16000	50
कम्पयूटर (Internet)	6420	6400	20
सास्कृति गतिविधि निधि	6420	6400	20
फर्नीचर रिपेयर निधि	3210	3200	10
स्वास्थ्य निधि	1926	1920	6
परीक्षा निधि	8025	8000	25
पहचान पत्र निधि	3210	3200	10
पुस्कालय प्रतिभूति निधि	32100	32000	100
एन0सी0सी0 निधि	1605	1600	5
एस0सी0ए0 निधि	3210	3200	10
खेलकूद निधि	28920	28800	120
एस0ए0एफ निधि	3210	3200	10
		योग =	**₹574**

अतः फीस प्राप्ति रजिस्टर में उक्त ₹574 कम दर्ज करके कम जमा करवाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राशि सम्बन्धित छात्र निधियों में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान कर्रवाई जाए।

9 **महाविद्यालय द्वारा अनाधिकृत रूप से निधियों की ₹209773 की वसूली करनाः–**

(क) महाविद्यालय की छात्र निधियों की प्राप्तियों की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान एस0सी0ए0 निधि के रूप में छात्रों से प्रति छात्र प्रतिवर्ष ₹10 वसूल लिए जा रहे है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक उच्च

शिक्षा के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच(21)ए(3) 20/2010–वी दिनाँक 03.06.2010 के अनुसार एस0सी0ए0 निधि की वसूली का कोई प्रावधान नही है जिस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं0 16 दिनाँक 10–10–13 द्वारा महाविद्यालय प्रशासन को अवगत करवाया गया। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन (अवधि 4/06 से 3/10) के पैरा संख्या 24 में उक्त आपत्ति उठाई गई है परन्तु इस वारे में कोई कार्रवाई अमल में न लाते हुये छात्रों से उक्त निधि की अनाधिकृत रूप से वसूली गई प्रतीत होती है। अंकेक्षणाधीन अवधि 4/10 में 3/13 के दौरान भी उक्त निधि के रूप में छात्रों ₹116245 की वसूली की गई है। अतः यह मामला उच्चाधिकारी के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इस प्रकरण में संस्था स्तर पर अपेक्षित जाँच करके वस्तुस्थिति एंव अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की छात्र निधियों की प्राप्तियों की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्रों से एस0ए0एफ0 निधि की वसूली निर्धारित दर 2/– प्रति छात्र न करके ₹10 प्रति छात्र की दर से की जा रही है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्रों से एस0ए0एफ0 निधि की ₹93528/– की अधिक वसूली की गई प्रतीत होती है जिस बारे में अंकेक्षण अधियाचना सं0 16 दिनाँक 10–10–13 द्वारा महाविद्यालय प्रशासन को अवगत करवाया गया परन्तु इस सम्बन्ध में कोई उतर अंकेक्षण को नही दिया गया। अतः उक्त निधि की वसूली निर्धारित दर पर न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में भी संस्था स्तर आन्तरिक जाँच करके सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप छात्र निधियों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

10 दैनिक उपयोग रजिस्टर के अनुसार प्रयोग किए गए केमिकल/सामग्री के स्थान पर ₹63341 के अधिक मूल्य के केमिकल/सामग्री को स्टाक से खारिज करने बारे

वाउचर संख्या 47 माह 3/11 की जाँच करने पर पाया गया के मैसर्ज Research Aid Instrument & Services Palampur से ₹82680 के रसायन विज्ञान से सम्बन्धित कैमिकल/सामग्री का क्रय किया गया परन्तु दैनिक उपयोग रजिस्टर व स्टाक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दैनिक उपयोग रजिस्टर में जो मात्रा दैनिक तौर पर प्रयोग की गई है उसके स्थान पर स्टाक रजिस्टर में अधिक मात्रा खारिज की गई जोकि अनियमित है तथा इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹63,341/– के कैमिकल/सामग्री के स्टाक को अधिक खारिज किया गया दर्शाया गया है।

क0 सं0	कैमिकल / सामग्री का नाम	दैनिक उपयोग रजिस्टर अनुसार प्रयोग की मात्रा	स्टाक रजिस्टर में खारिज मात्रा	अन्तर	दर	अन्तर की राशि
1	Ammonium Thiocynate	265	3500 gm	3235 gm	273/– (per 500 gm)	1766.31
2	Ammonium Dicromate	–nil–	1500 gm	1500 gm	364/– (per 500 gm)	1092.00
3	Benzene	30.05 Ltr	52.5 Ltr	22.45 Ltr	525/– per(2.5 Ltr)	4714.50
4	Cadmium Nitrate	1850 gm	3000 gm	1150 gm	455/– (per 500 gm)	1046.50
5	Nckel Sulphate	1169 gm	5500 gm	4331 gm	686/– (per 500 gm)	5942.13
6	Magnesium Carbonate	60 gm	5000 gm	4940 gm	595/– (per 500 gm)	5878.60
7	Potassium Dichromate	51.75 gm	5500 gm	544825 gm	385/– (per 500 gm)	4195.75
8	Acctone	10.16 Ltr	27.5 Ltr	17.34 Ltr	525/– (per 2.5 Ltr)	3641.40
9	Cobolt Acctate	500 gm	2500 gm	2000 gm	1820/– (per 500 gm)	7280.00
10	zincphosphate	2500 gm	3000 gm	500 gm	364/– (per 500 gm)	364.00

11	zinc Carbonatc	2750 gm	3500 gm	750 gm	298/– (per 500 gm)	447.00
12	Alluminum Sulphatc	2253 gm	2700 gm	447 gm	98/– (per 500 gm)	87.61
13	Ammonia Accetate	900 gm	3000 gm	2100 gm	154/– (per 500 gm)	646.80
14	Ammoniom Bronde	300 gm	2500 gm	2200 gm	308/– (per 500 gm)	1355.20
15	Ammonia Sodium	9.0 Ltr	42.5 Ltr	33.50 Ltr	392/– (per 500 gm)	2626.40
16	Ammoniom Ferrous Sulphate	2235 gm	10500 gm	8265 gm	98/– (per 500 gm)	1620.00
17	Alluminum nitrate	–nil–	2500 gm	2500 gm	112/– (per 500 gm)	560.00
18	Picric Acid	–nil–	1000 gm	1000 gm	406/– (per 500 gm)	812.00
19	Meth/Orange (Red)	–nil–	500 ml	500 ml	228/– (per 125 ml)	912.00
20	Dimethyl Ghyoxime	–nil–	1100 gm	1100 gm	966/– (per 500 gm)	2125.00
21	Calcon indicator	–nil–	25 gm	25 gm	609/– (per 500 gm)	609.00
22	Copper Turning	–nil–	2000 gm	2000 gm	683/– (per 500 gm)	2732.00
23	Zicrony/Nitra tc tech	–nil–	600 gm	600 gm	980/– (per 100 gm)	5880.00

24	Ferion Indicator	–nil–	100 ml	100 ml	392/– (per 100 gm)	392.00
25	Benz amide	–nil–	3500 gm	3500 gm	448/– (per 500 gm)	3136.00
26	M.Dinitroben zene	–nil–	1000 gm	1000 gm	595/– (per 500 gm)	1190.00
27	Dipheny lamine	–nil–	500 gm	500 gm	609/– (per 500 gm)	609.00
28	Benzoic Acid	–nil–	4000 gm	4000 gm	210/– (per 500 gm)	1680.00
					कुल योग	**63340.80**

अतः स्टाक रजिस्टर से अधिक खारिज की मात्रा का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक खारिज की गई कैमिकल/सामग्री की मात्रा के मूल्य की ₹63340.80 की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए व अंकेक्षण द्वारा राय दी जाती है कि भविष्य में दैनिक उपयोग रजिस्टर के अनुसार ही स्टाक से कैमिकल/सामग्री की मात्रा को खारिज किया जाए व इस प्रकार की त्रटि को न दोहराया जाए।

11 **स्टाक रजिस्टर से Zinc Corbonate की अधिक मात्रा खरिज करने बारेः–**

स्टाक रजिस्टर 2B (Inorganic Chemicals) के पृष्ठ सं0 139 पर दिनाँक 20–10–11 को 500gm Zinc Corbonate की मात्रा खारिज करने उपरान्त शेष मात्रा 500gm दर्शाई गई है जबकि दिनाँक 20–10–11 को उक्त मात्रा खारिज करने उपरान्त शेष की मात्रा 1000gm होनी चाहिए थी। इस प्रकार दिनाँक 20–10–11 को Zinc Corbonate की 500gm मात्रा अधिक खारिज की गई दर्शाई गई जिसका मूल्य ₹298/– बनता है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक खारिज की गई

मात्रा की ₹298/– की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाये।

12 मैसर्ज **Imperial Printing Press** धर्मशाला को ₹27011/–का अधिक भुगतान करना:–

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 10/11 में मैसर्ज Imperial Printing Press धर्मशाला को उनके बिल संख्या 8773, माह 10/11 के अन्तर्गत 3500 पत्रिकाओं की छपवाई के लिए निम्न विवरणानुसार ₹145089/– का भुगतान किया गया।

3500 पत्रिका @ 39.48	138180
vat@ 5%	6909
	145089

उपरोक्त पत्रिकाओं की छपवाई के लिए निम्नलिखित निविदाए आंमत्रित की गई थी।

1	Imperial Printing Press	32.13 प्रति पत्रिका
2	M/S Laj Printing Press	34.00 प्रति पत्रिका
3	M/S Suraj Printing Press	35.95 प्रति पत्रिका

इस प्रकार निविदायों के आधार मैसर्ज Imperial Printing Press को निम्न प्रकार से भुगतान करना अपेक्षित था।

3500 पत्रिका @ 32.13	112455
vat 5%	5623
	118078

अतः महाविद्यालय द्वारा इन पत्रिकाओं की छपवाई हेतु ₹145089 – ₹118078 = ₹27011 का अधिक भुगतान किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमिता का मामला है। अतः ₹27011/– का वसूली उचित स्त्रोत में करके इसे निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 **होटल चार्जिज/दैनिक भते के रूप में ₹7758/– का अनियमित भुगतान करना :–**

(क) महाविद्यालय द्वारा माह 10/11 में श्री सतीश ठाकुर को अग्रिम ₹50000 का भुगतान किया गया। उक्त अग्रिम राशि के समायोजन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि श्री सतीश ठाकुर (सहायक प्राफेसर संगीत) व श्री रजिन्द्र सिह (प्रवक्ता संगीत) द्वारा क्रमशः ₹580+₹580 अर्थात ₹1160 प्रतिदिन को दर से 5 दिनों के लिए कुल ₹5800/– का व्यय होटल चार्जिज के रूप में किया गया जोकि प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 Fin-C-B(7)-14/98 दिनाँक 2–6–2006 के अनुसार नियमानुसार देय नही है। अतः उक्त ₹5800/– की वसूली उचित से करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से आगामी आडिट को अवगत करवाया जाए।

(ख) माह 10/11 में श्रीमती अनिता चम्बयाल (प्रोफेसर) को अग्रिम ₹50000/– का भुगतान युवा महोत्सव धुमारवी में भाग लेने के लिए किया गया। उक्त अग्रिम राशि के समायोजन बिलो का जाँच करने पर पाया गया कि डा0 मलकीत सिह (प्रवक्ता हिन्दी) द्वारा M/S Hotel Nayan Ghumarwin को उनके बिल सं0 6877 दिनाँक 6–11–11 के एवज में 4 दिनो के लिए ₹1200/– का व्यय होटल चार्जिज के रूप में किया गया जोकि प्रदेश सरकार अधिसूचना सं0 Fin-C-B(7)-14/98 दिनाँक 2–6–2006 के अनुसार नियमानुसार देय नही है अतः उक्त ₹1200/– की उचित स्त्रोत से वसूली करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से आगामी आडिट को अवगत करवाया जाए।

(ग) महाविद्यालय द्वारा डा0 आशु फुल को दिनाँक 2–11–11 से 6–11–11 के दौरान युवा महोत्सव धुमारवी में भाग लेने के लिए यात्रा व दैनिक भता के रूप में ₹1058/– का भुगतान किया गया जिसमें से ₹758/– का दैनिक भते के रूप में भुगतान किया गया जो नियमानुसार सही नही है क्योकि पी0टी0ए0 प्रवक्ता सरकारी नियमों के अधीन नही आते है तथा इन्हे नियमानुसार दैनिक भते का भुगतान नही किया जा सकता। अतः उक्त ₹758/– की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे मिश्रित निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से आगामी आडिट को अवगत करवाया जाये।

14 **रियायती दर पर यात्रा न करने बारेः–**

महाविद्यालय द्वारा वा0सं0 15 माह 10/12 द्वारा श्री अगरिश घई (प्रवक्ता) को अग्रिम ₹66000/– का भुगतान युवा महोत्सव रामपुर हेतु किया गया। जाँच में पाया गया

कि महाविद्यालय द्वारा 23 छात्रों को रामपुर के लिए उक्त महोत्सव के लिए भेजा गया था उनके किराये ₹20652/– का भुगतान HRTC को किया गया था। उक्त यात्रा के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा रियायती वाऊचर HRTC से नही वनाया गया। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त मात्रा के लिए रियायती वाऊचर लिया होता तो महाविद्यालय को उक्त यात्रा की 50% राशि यानि ₹10326/– की बचत हो सकती थी। अतः HRTC से रियायती वाऊचर न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाये।

15 **अग्रधन के रूप में दी गई राशि ₹82000/– का समायोजन विलम्ब से करने बारेः–**

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार दी गई अग्रधन राशियों का समायोजन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा विलम्ब से किया गया।

माह	वाऊचर संख्या	कर्मचारी का नाम	जारी करने का उद्वेश्य	जिस माह में समायोजित की गई	राशि
10/12	19	श्री राजेश चौधरी	दिनाँक 14–10–02 से 17–10–12 में आयोजित कबडडी प्रतियोगिता हेतु	2/13	24000
10/12	20	श्री राजेश चौधरी	दिनाँक 13–10–12 से 16–10–12 में आयोजित बाक्सिग प्रतियोगिता हेतु	2/13	12000
10/12	21	श्री राजेश चौधरी	दिनाँक 14–10–12 से 16–10–12 में आयोजित बास्केट बाल प्रतियोगिता हेतु	2/13	15000
10/12	25	श्री राजेश चौधरी	दिनाँक 20–10–12 से 22–10–12 में आयोजित रैसलिग प्रतियोगिता हेतु	2/13	9000

10/12	26	श्री राजेश चौधरी	दिनाँक 20–10–12 से 21–10–12 में आयोजित बास्केट बाल प्रतियोगिता हेतु	2/13	12000
10/12	27	श्री राजेश चौधरी	दिनाँक 25–10–12 से 27–10–12 में आयोजित वेट लिफ्टिग प्रतियोगिता हेतु	2/13	10000
			योग		**₹82000**

अतः अग्रधन के रूप में दी उक्त ₹82000/– का समायोजन सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा विलम्ब से करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योकि सरकारी दिशा–निर्देशों अनुसार एक माह के भीतर अग्रधन राशियों को समायोजित करवाया जाना अपेक्षित था। इस के अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में अग्रधन के रूप में दी राशियों का समायोजित समय पर करवाया सुनिश्चित किया जाये।

16 अग्रधन के रूप में दी गई ₹77000/– से सम्बन्धित समायोजित वाऊचरों का प्रस्तुत न करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार दी गई अग्रधन की ₹7700 से सम्बन्धित समायोजित वाऊचर आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये।

माह	**वाऊचर संख्या**	**कर्मचारी का नाम**	**राशि**
9/12		श्री राजेन्द्र भारद्वाज	75000
10/12	14	श्री संजीव कटोच	2000
		योगः–	**77000**

अतः उक्त ₹77000/– से सम्बन्धित समायोजन वाऊचरों को आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इन समायोजन वाऊचरों के आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा समायोजन वाऊचरों की अनुपस्थिति में

अग्रधन के रूप में दी गई उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **मिश्रित निधि से बिजली के बिलो की ₹275105/– का अनियमित रूप में भुगतान करनाः–**

महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि में निम्न विवरणानुसार विजली के बिलों की ₹275105 का भुगतान में किया गया।

माह	वाऊचर संख्या	राशि
3/11	52	95
3/11	56	95
3/11	57	1718
3/11	58	72
3/11	59	3164
3/11	60	920
3/11	61	544
3/11	62	122
3/11	63	72
3/11	65	13726
3/11	66	3374
3/11	67	8153
3/11	68	832
10/12	39	33624
10/12	40	11810
10/12	41	13619
10/12	42	13619
10/12	42	38831
10/12	43	49675
10/12	44	24341
10/12	45	28895
10/12	46	27804
	योग	**₹275105**

मिश्रित निधि से किये गये उक्त बिजली के बिलों का भुगतान निधि पर उचित प्रभार नही है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व उचित स्त्रोत से उक्त ₹275105/– की वसूली करके इसे सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 डाक टिकटो की खरीद के लिए मिश्रित निधि में ₹5000/– का अनियमित भुगतान करनाः–

वा0स0 38 माह 10/12 की जाँच करने पर पाया गया कि पोस्ट मास्टर धर्मशाला को डाक टिकटो को खरीद के लिए ₹5000/– का भुगतान मिश्रित निधि से किया गया जोकि इस निधि पर वैद्य प्रमार नही था। अतः ₹5000/– को उचित स्त्रोत से वसूल कर मिश्रित निधि में जमा किया जाए।

19 स्टाक रजिस्टर में दर्ज उपकरणें की मात्रा से अधिक मात्रा की रिपेयर करवाकर ₹4700/– का अधिक भुगतान करने बारेः–

मैसर्ज ट्रोमा इण्डिया अम्बाला के बिल संख्या 594 दिनाँक 21–9–11 की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उक्त फर्म से निम्नविवरणानुसार स्टाक रजिस्टर में दर्ज उपकरणों की मात्रा से अधिक मात्रा की रिपेयर करवाकर भौतिक विज्ञान निधि से ₹4700/– का अधिक भुगतान किया गया।

उपकरण का नाम	स्टाक रजिस्टर पेज संख्या	स्टाक रजिस्टर में दर्ज मात्रा	बिल अनुसार दर्शाई गई	ज्यादा मुरम्त करवाई गई मात्र	दर	अधिक भुगतान की राशि
Spectometer	236	5	8	3	900/–	2700
Travelling Microscope	244	6	10	4	500/–	2000
					योग	**4700**

अतः उक्त विवरणानुसार अधिक भुगतान की राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके इसे सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

20 स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारेः–

मैसर्ज पपू जनरल स्टोर योल को उनके बिल संख्या 1165 दिनाँक 6–10–12 के एवज में 73 ड्रेस की खरीद हेतु ₹650/– प्रति ड्रेस की दर से ₹47450/– का भुगतान रोबर एंव रेन्जर निधि से किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में नही की गई जिसके अभाव में उक्त ड्रेसों की खरीद की पुष्टि नही की जा सकी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अव इस प्रकरण में आश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार किए गए भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाऊचर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

निधि का नाम	माह	वाऊचर संख्या	राशि
रोवर्स एड रेन्जर	11/10	–	22230
मिश्रित निधि	3/11	73	6480

अतः उक्त भुगतानों के बिल/ वाउचरों के अभाव में भुगतानों की सत्यता की जाँच नही की जा सकी जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व वाछितः अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाये।

22 रसीदों को फीस प्राप्ति विवरणियों में न दर्शाया जानाः–

माह 6/10 व 6/11 से सम्बन्धित फीस प्राप्ति विवरणियों की जाँच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार रसीदे फीस प्राप्ति विवरणियों में नही दर्शाई गई थी।

दिनाँक	रसीद संख्या
15–6–10	10409
16–6–10	10464

18—6—10	10742
18—6—10	10748 से 10749
19—6—10	11177
22—6—10	11315 से 11317
22—6—10	11323
22—6—10	11342
22—6—10	11372
23—6—10	11462
23—6—10	11468
24—6—10	11640
25—6—10	11773
25—6—10	11774
28—6—10	12023
29—6—10	12253
29—6—10	12495
6—6—11	21761
7—6—11	21818 व 21821
8—6—11	21906 व 21907
8—6—11	21931
8—6—11	21937
8—6—11	21947
8—6—11	21953 से 21956
8—6—11	21960 से 21961
8—6—11	21968
8—6—11	21970

इस प्रकार उक्त रसीदों को फीस प्राप्ति विवरणीयों में न दर्शाकर रोकड बही में नही लिया गया और न ही उक्त रसीदे अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत की गई जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए।

23 **निधियों के स्टॉक रजिस्टरों की प्रत्यक्ष सत्यापना के सम्बन्ध में :–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा भण्डार रजिस्टरों में पडी हुई वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नही करवाया जा रहा है। नियमानुसार प्रत्येक वर्ष कमेटी गठित करके भण्डार में पडी सभी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाना जरूरी है। अत परामर्श दिया जाता है। कि प्रत्येक वर्ष भण्डार में पडी वस्तुओं का भैतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 **लधु आपत्ति विवरणिका:–** यह अलग से ज़ारी नहीं की गई है।

25 **निष्कर्ष:–** लेखाओं में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या: 11(2)207–वित्त(ले0प0)खण्ड–10, दिनांक,20.3.2014, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
2. निदेशक शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001
3. उप सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–171002
4. श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकरी द्वारा.........

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–**"A"** पैरा संख्या 1(**iii**)

(क) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 6/56</u>

1	पैरा 8	अनिर्णीत

(ख) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/56 से 5/58</u>

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत

(ग) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 6/58 से 6/59</u>

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत

(घ) <u>सहायक परीक्षक का दिनाँक 25.08.1961 का निरीक्षण प्रतिवेदन</u>

1	पैरा 1 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा 1 (6)	अनिर्णीत
3	पैरा 1 (16)	अनिर्णीत
4	पैरा 1 (20)	अनिर्णीत
5	पैरा 1 (21)	अनिर्णीत

(ड) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/59 से 2/62</u>

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 5 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा 9 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा 9 (4)	अनिर्णीत

11	पैरा 10	अनिर्णीत

(च) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/62 से 9/69</u>

1	पैरा 4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 5 (1,2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 6 (ए) (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 6 (ए) (7)	अनिर्णीत
7	पैरा 6 (ए) (8)	अनिर्णीत
8	पैरा 6 (ए) (9)	अनिर्णीत
9	पैरा 6 (डी) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा 6 (डी) (2) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा 6 (डी) (3, 4)	अनिर्णीत
12	पैरा 7	अनिर्णीत
13	पैरा 7 (2, 3)	अनिर्णीत
14	पैरा 9	अनिर्णीत
15	पैरा 11	अनिर्णीत
16	पैरा 12	अनिर्णीत
17	पैरा 12 (बी)	अनिर्णीत
18	पैरा 13 (3)	अनिर्णीत

(छ) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 10/69 से 6/73</u>

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (1, 2)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (ए) (4)	अनिर्णीत
6	पैरा 7 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 7 (सी)	अनिर्णीत

8	पैरा 7 (डी) (2)	अनिर्णीत
9	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
10	पैरा 8 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 8 (ई)	अनिर्णीत
12	पैरा 9 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा 9 (बी) (1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा 9 (सी) (डी)	अनिर्णीत
15	पैरा 9 (ई से एल)	अनिर्णीत
16	पैरा 9 (एम)	अनिर्णीत
17	पैरा 9 (पी) (4)	अनिर्णीत
18	पैरा 9 (क्यू) (3 से 5)	अनिर्णीत
19	पैरा 9 (एस से टी)	अनिर्णीत
20	पैरा 10 (ए व बी)	अनिर्णीत
21	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा 11 (1 से 3)	अनिर्णीत
23	पैरा 11 (बी, सी)	अनिर्णीत
24	पैरा 12 (ए, बी, सी, डी)	अनिर्णीत
25	पैरा 13 (ए, बी)	अनिर्णीत
26	पैरा 14 (ए, बी)	अनिर्णीत
27	पैरा 15 (ए, सी, एफ)	अनिर्णीत
28	पैरा 16 (ए, सी)	अनिर्णीत
29	पैरा 7 (डी) (4)	अनिर्णीत
30	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत
31	पैरा 7(जी) (2)	अनिर्णीत
32	पैरा 7 (एच)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (एच) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा 8	अनिर्णीत
35	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत

37	पैरा 9 (2 से 7)	अनिर्णीत
38	पैरा 10 (ए, ई)	अनिर्णीत
39	पैरा 11	अनिर्णीत
40	पैरा 12	अनिर्णीत
41	पैरा 12 (2)	अनिर्णीत
42	पैरा 13 (सी) (1)	अनिर्णीत
43	पैरा 13 (सी) (2, 3)	अनिर्णीत
44	पैरा 14 (ए से ई)	अनिर्णीत
45	पैरा 15 (1 व 2)	अनिर्णीत
46	पैरा 16	अनिर्णीत
47	पैरा 16 (4)	अनिर्णीत

(ज) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/73 से 2/76</u>

1	पैरा 5 (ए, सी,डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ए, सी,)	अनिर्णीत
3	पैरा 17	अनिर्णीत
4	पैरा 18	अनिर्णीत
5	पैरा 19 (ए से सी)	अनिर्णीत
6	पैरा 19 (ई)	अनिर्णीत

(झ) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/76 से 3/81</u>

1	पैरा 4 (ए, बी,डी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (ए, सी,डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 8 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10 (ए, से ई)	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13 (ए, से डी)	अनिर्णीत

11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 19 (सी व डी)	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21 (बी)	अनिर्णीत
18	पैरा 22 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 23 (ए से सी)	अनिर्णीत
20	पैरा 24 से 27	अनिर्णीत
21	पैरा 28 (ए, सी, डी)	अनिर्णीत
22	पैरा 29	अनिर्णीत
23	पैरा 31 (ए, सी, डी)	अनिर्णीत
24	पैरा 3 (1 से 2)	अनिर्णीत

(ञ) <u>छात्र सहायता निधि का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 7/73 से 2/76</u>

1	पैरा 21 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 22	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

(ट) <u>सांयकालीन महाविद्यालय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/76 से 3/81</u>

1	पैरा 4	अनिर्णीत

(ठ) <u>छात्र सहायता निधि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/76 से 3/81</u>

1	पैरा 3 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत

(ड) <u>श्री बी0एल0 थापर, सहायक परीक्षक का 27.6.83 का निरीक्षण प्रतिवेदन</u>

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत

(ढ) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/89</u>

1	पैरा 5 (1, व 2)	अनिर्णीत

2	पैरा 6 (1, व 3)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 9 (3) (ए, व बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 9 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा 9 (5) (क, ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 9 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा 9 (7)	अनिर्णीत
11	पैरा 9 (8)	अनिर्णीत
12	पैरा 9 (9 से 17)	अनिर्णीत
13	पैरा 10 (1,2)	अनिर्णीत
14	पैरा 11	अनिर्णीत
15	पैरा 12	अनिर्णीत
16	पैरा 13 (1,2)	अनिर्णीत
17	पैरा 14	अनिर्णीत
18	पैरा 15	अनिर्णीत
19	पैरा 16 (1 से 4)	अनिर्णीत
20	पैरा 17 (1 से 5)	अनिर्णीत
21	पैरा 18	अनिर्णीत
22	पैरा 19 (1 से 4)	अनिर्णीत
23	पैरा 20 (1 से 6)	अनिर्णीत

(ण) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/92</u>

1	पैरा 6 से 8	अनिर्णीत
2	पैरा 13 से 14	अनिर्णीत
3	पैरा 18	अनिर्णीत
4	पैरा 19 (क, घ. व ड)	अनिर्णीत
5	पैरा 22 (ख, ग, ड)	अनिर्णीत
6	पैरा 23 (क) (1)	अनिर्णीत

7	पैरा 23 (ख, ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 24 (क, ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 26 (1 से 4)	अनिर्णीत	
10	पैरा 34 (ड, च)	अनिर्णीत	
11	पैरा 36 (क, ख, ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा 37 (ख, ग, घ)	अनिर्णीत	

(त) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/98</u>

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 9	अनिर्णीत	
3	पैरा 12	अनिर्णीत	
4	पैरा 13	अनिर्णीत	
5	पैरा 15	अनिर्णीत	
6	पैरा 16	आंशिक निर्णीत	24151, 24235, 24160, 7/92, 169159, 10197301, 3/93 213490, 202001, 212151, 3/94 212300, 144801, 3/95 उपरोक्त की जाँच की जानी शेष है।
7	पैरा 17	अनिर्णीत	
8	पैरा 19	अनिर्णीत	
9	पैरा 20	अनिर्णीत	
10	पैरा 21	अनिर्णीत	
11	पैरा 22	अनिर्णीत	
12	पैरा 23	अनिर्णीत	
13	पैरा 25	अनिर्णीत	
14	पैरा 26	अनिर्णीत	
15	पैरा 27	अनिर्णीत	

(थ) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 2/2001</u>

1	पैरा 4 (क,ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 4 (ग) (1से 5)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5 (क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	

4	पैरा 6 (क,ख,ग,घ.ड)	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (क,ख,ग,घ.ड)	अनिर्णीत
10	पैरा 11 (छ)	अनिर्णीत
11	पैरा 12 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 15 (क,ग,घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 17 (क)	आंशिक अनिर्णीत (क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कलैण्डर के नियम 42 के अर्न्तगत क्रमाक 3,5 से 8,10,16,19 तथा 22 में अंकित व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रमार बनता है। अतः इन क्रमाकों से सम्बन्धित ऑडिट पैरों को समाप्त किया जाता है। 1,2,4,9,11 से 15,17,18,20,21 में वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी से शीघ्र नियमित करवाया जाए, अन्यथा दोषी व्यक्ति से उक्त अनियमित व्ययों की वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।)
14	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत
15	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत
16	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत
17	पैरा 18 (च)	अनिर्णीत
18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 26	अनिर्णीत

(द) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 3/2001 से 3/2003</u>

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत

(ध) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2006</u>

1	पैरा 11	अनिर्णीत	
2	पैरा 14 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 16 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 16 (ख)	अनिर्णीत	

(न) <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2010</u>

1	पैरा 2	निर्णीत	(वर्तमान वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
2	पैरा 3	निर्णीत	(की गई कार्यवाही अुनसार)
3	पैरा 4	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
4	पैरा 5	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	निर्णीत	(रसीद सं0 022451 द्वारा दिनाँक 7.10.13 को वसूली की गई)
7	पैरा 8	निर्णीत	(रसीद सं0 022452 द्वारा दिनाँक 7.10.13 को वसूली की गई)
8	पैरा 9	निर्णीत	(रसीद सं0 022453 द्वारा दिनाँक 7.10.13 को वसूली की गई)
9	पैरा 10	निर्णीत	(रसीद सं0 022454 द्वारा दिनाँक 7.10.13 को वसूली की गई)
10	पैरा 11	निर्णीत	(रसीद सं0 022453 द्वारा दिनाँक 7.10.13 को वसूली की गई)
11	पैरा 12	निर्णीत	(रसीद सं0 022456 द्वारा दिनाँक 7.10.13 को वसूली की गई)
12	पैरा 13 (क)	निर्णीत	(रसीद सं0 022457 द्वारा दिनाँक 7.10.13 को वसूली की गई)

13	पैरा 13 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 14 (i)	अनिर्णीत	
15	पैरा 14 (ii)	अनिर्णीत	
16	पैरा 15	अनिर्णीत	
17	पैरा 16 (i)	अनिर्णीत	
18	पैरा 16 (ii)	अनिर्णीत	
19	पैरा 16 (iii)	अनिर्णीत	
20	पैरा 16 (iv)	अनिर्णीत	
21	पैरा 17	अनिर्णीत	
22	पैरा 18	अनिर्णीत	
23	पैरा 19	अनिर्णीत	
24	पैरा 20 (i)	अनिर्णीत	
25	पैरा 20 (ii)	अनिर्णीत	
26	पैरा 21 (i)	अनिर्णीत	
27	पैरा 21 (ii)	अनिर्णीत	
28	पैरा 21 (iii)	अनिर्णीत	
29	पैरा 21 (iv)	अनिर्णीत	
30	पैरा 22 (i)	अनिर्णीत	
31	पैरा 22 (ii)	अनिर्णीत	
32	पैरा 23	अनिर्णीत	
33	पैरा 24	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
34	पैरा 25	अनिर्णीत	
35	पैरा 26	अनिर्णीत	
36	पैरा 27	अनिर्णीत	

(**i**) <u>गत अंकेक्षण आपति विवरणिकाए</u>

गत अंकेक्षण आपत्ति विवरणिकाओं में सम्मलित आपत्तियों की अनिर्णीत मदें निम्न प्रकार से है:–

	अवधि	मद संख्या
1	7/55 से 6/56	5, 10 (आंशिक), 15,24 व 27
2	7/56 से 6/57	1 व 2 (आंशिक), 3 व 4 (आंशिक), 10,16,17
3	7/57 से 5/58	9,10,11,13,20 व 21 (13 से 18,20,22,24,25,26, से 30)
4	6/58 से 6/59	1,3,4,5,6,7,8,9,10 आंशिक (12) आंशिक,
5	7/59 से 6/60	अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।
6	7/60 से 2/62	अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।
7	3/62 से 9/69	1से 43,45से 48,51,54 से 61,63(2,4 व 5) 64,67(आंशिक), 68 से 70,72,73,74(जी,एच), 75(7,8,9,11,12 व 14) तथा 76 से 168
8	10/69 से 6/73	3,4,13,14,16,18,24 से 29,31 से 36,42,44,47 से 56,61(2),62 (4), 65 से 73,74 (4), 79,80 से 90,91(4)(2),92,94,96 से 101
9	7/73 से 2/76	3,4,10,11,14,15,16 (2), 17,22,24 (बी), 24 (डी), 26(बी), 26(डी), 27(आंशिक), 28, 29 (आंशिक), 30,31 (आंशिक),

	पैरे	आपति विवरणिकाए
प्रारम्भिक शेंष	237	इस के अतिरिक्त उपरोक्त (**i**) के अनुसार गत अंकेक्षण आपति विवरणिकाए भी अनिर्णीत है
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरों की संख्या	11	
अन्तशेंष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2010 से 31.3.2013 तक)	226	